

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-पंचायत मुख्यालय सारणों का तला

प्रकरण सं.:- 12/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/

दिनांक:-14.05.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोशलू व भू.अ.नि.होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम मेघवालों की ढाणियां (कलां) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मेघवालों की ढाणियां (कलां)	17 18 19	335 332,333 341,352	घमा पुत्र हुकमा	घमा उर्फ घमण्डाराम पुत्र हुकमाराम <u>शेष बदुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:-14.05.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री घमा उर्फ घमण्डाराम पुत्र हुकमाराम निवासी मेघवालों की ढाणियां (कलां) तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी